संख्या-12/2016/ए-1-727/दस-2016-10(38)/2014

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक - 23 अगस्त, 2016

विषय :- ई-पेमेण्ट में फेल ट्रांजैक्शन की धनराशि के निस्तारण के सम्बन्ध मे।

महोदय,

ई-पेमेण्ट में फेल ट्रांजैक्शन के विरूद्ध बैंकों द्वारा आहरण-वितरण अधिकारियों को ड्राफ्ट उपलब्ध कराने की व्यवस्था वर्तमान में प्रचलित है, परन्तु कभी-कभी बैंकों द्वारा ड्राफ्ट बना दिये जाने के उपरान्त भी ड्राफ्ट बैंक स्तर पर अथवा आहरण-वितरण अधिकारी स्तर पर पड़े रहते हैं और समय से ड्राफ्ट की धनराशि आय पक्ष के लेखाशीर्षक-0070 में जमा नहीं की जाती है तथा इसके अतिरिक्त बैंक से ड्राफ्ट बनवाने में भी आहरण वितरण अधिकारियों को एक लम्बी प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ता है जिससे उन्हें कठिनाई होती है। कभी-कभी आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा बैंक ड्राफ्ट की धनराशि आय पक्ष में जमा करने के उपरान्त लाभार्थी द्वारा उपरोक्त धनराशि की मॉग की जाती है और लाभार्थी को धनराशि प्राप्त नहीं हो पाती है, क्योंकि आहरण वितरण अधिकारियों को पुनः बिल बनाने पर दोबारा बजट की आवश्यकता पड़ती है। भारत सरकार में ई-पेमेण्ट की व्यवस्था के अनुसार फेल ट्रांजैक्शन की समस्त धनराशि को लेखाशीर्षक-8658 00 102 25 में जमा कर दिया जाता है और जिस कारण से ट्रांजैक्शन फेल हुआ, आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उस कारण के निवारण के उपरान्त पुन- बिल प्रेषित करके लेखाशीर्षक-8658 00 102 25 में जमा धनराशि से सम्बन्धित लाभार्थी को भुगतान कर दिया जाता है।

2- वर्तमान व्यवस्था में पेड चेक की धनराशि को लेखाशीर्षक-8670 00 104 में दर्शाया जा रहा है। महालेखाकार के सुझाव के अनुसार प्रत्येक टोकन के विरूद्ध भुगतानित एवं फेल ट्रांजैक्शन की दोनों धनराशि को लेखाशीर्षक-8670 00 104 में ही दर्शाये जाने का सुझाव दिया गया है क्योंकि राज्य सरकार के एकाउण्ट्स से एक बार सम्पूर्ण धनराशि डेबिट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।